39

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 479 -दो/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 7-1-2014 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 859/2009-10 अपील

1- राजकुमार 2- राजचेरे सिंह 3- रामाधार सिंह
तीनों पुत्रगण स्व. कौशल सिंह निवासी ग्राम
देवमउ दलदल तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना मध्य प्रदेश

-----आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमती मुनिया पत्नि स्व.रामाश्रय सिंह
2- देवेन्द्र सिंह 3- शिवेन्द्र सिंह 4- योगेन्द्रसिंह
5- शैलेन्द्रप्रताप सिंह सभी पुत्रगण स्व.रामाश्रय सिंह
6- श्रीमती लता सिंह पुत्री स्व.रामाश्रय सिंह
7- जयराम सिंह 8- रामकलेश सिंह पुत्रगण स्व.इन्द्रजीत सिंह
9- रामबहोर सिंह पुत्र स्व.विशेषर सिंह
सभी ग्राम देवमउ दलदल तहसील रामपुर वाघेलान
जिला सतना , मध्य प्रदेश ।

----अनावेदकगण

(आवेदकगण के श्री अरूणप्रताप सिंह अभिभाषक)
(अनावेदक-1 से 5 के श्री धर्मेन्द्र पटैल अभिभाषक)
(अनावेदक-6 से 9 के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक- 11-01-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 859/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-1-2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम देवमउ दलदल की भूमि सर्वे नंबर 109,133,135,175, 336, 339, 670, 672, 738, 740, 850 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) वर्ष 1974-75 तक बजरॅगी पुत्र भोला के नाम थी। बजरंगी की मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 126 पर आदेश दिनॉक 19-12-975 से उसके वारिसान का नामान्तरण किया गया । इसी भूमि पर प्र.क्र. 30/18-10/1979 दिनांक 20-11-79 लिखकर अनावेदकगण के पिता का नाम विलोपित कर दिया गया।

खसरे की नकल लेने एंव पता चलने पर प्रमाणित प्रतिलिपि 30-8-2006 को प्राप्त हुई तब उक्तादेश की अपील 11-9-2006 को अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो विलम्ब के आधार पर निरस्त की गई। इस आदेश की अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग के न्यायालय में की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान का आदेश दिनांक 24-12-2007 निरस्त किया गया तथा प्रकरण पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्रकरण क्रमांक 188/2005-06 में पक्षकारों की सुनवाई की तथा आदेश दिनॉक 23-3-2010 पारित करके प्र.क्र. 30/18-10/1979 दिनांक 20-11-79 लिखकर की गई पृविष्टि निरस्त कर दी तथा तहसीलदॉर रामपुर वाघेलान को निर्देश दिये कि सर्वप्रथम नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 126 पर आदेश दिनॉक 19-12-1975 के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाय। यदि तदान्तर में किसी खातेदार की मृत्यु हो गई हो तो जांचपरांत उसके वारिसान का नामान्तरण दर्ज किया जावे। पक्षकार बटवारे का आवेदन प्रथक से प्रस्तुत कर सकते है। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के प्रकरण क्रमांक 188/2005-06 में पारित आदेश दिनॉक 23-3-2010 के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 859/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-1-2014 से अपील खारिज कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक एंव अनावेदक क्र-1 से 5 के अभिभाषक व्दारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये है। लिखित तर्को के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक एंव अनावेदक क्र-1 से 5 के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी तर्को के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि उभय पक्ष के पूर्वज बजरँगी पुत्र भोला के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी और इनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 126 पर आदेश दिनॉक 19-12-975 से चुग्गी, गुजरतिया पुत्री रामश्रय, मक्खी पत्नि स्व. रामसहाय, छोटेलाल, रघुनाथ पुत्र रामसहाय, मोहन पुत्र कामता, रामविशाल पुत्र सेवक, मथोली पुत्री रामसेवक, रामबहारे पुत्र विशेषर, काली पुत्री विशेषर , रामचेरे, रामाधार, राजा पुत्रगण कौशल, पूसन पुत्री कौशल के नाम नामान्तरण हुआ है। सुनवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष यह तथ्य उजागर हुआ है कि पटवारी ने फर्जी प्र.क्र. 30/18-10/1979 दिनांक 20-11-79 लिखकर खसरे से मूल पक्षकारों के नाम विलोपित किये हैं और फर्जी प्रविष्टि की है जिसके कारण नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 126 पर आदेश दिनॉक 19-12-975 के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त करने के निर्देश दिये गये हैं और आदेश दिनांक 23-3-10 में यह व्यवस्था भी दी है कि यदि तदान्तर में किसी खातेदार की मृत्यु हो गई हो तो जांचोपरांत उसके वारिसान का नामान्तरण दर्ज किया जावे। यही निष्कर्ष अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 859/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-1-2014 में है । अनावेदकगण के अभिभाषक ने लेखी बहस के साथ मान. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 सतना के न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 2154/2013 में पारित आदेश दिनांक 16-1-2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार आवेदकगण व्दारा वादोक्त भूमि के सम्बन्ध में दायर व्यवहार वाद निरस्त हुआ है। इसी प्रकार आवेदकगण ने इस आदेश के विरूद्ध मान. तृतीय अपर जिला न्यायाधीश सतना के न्यायालय में दायर की गई अपील क्रमांक 4146/17 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है एंव तद्नुसार निर्णय किये जाने की मांग रखी है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है और जब मान. तृतीय अपर जिला न्यायाधीश सतना के न्यायालय से जो भी निर्णय होगा, राजस्व न्यायालय पालन करने हेतु बाध्य है, परन्तु विचाराधीन निगरानी में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण क्रमांक 188/2005-06 अपील में पारित आदेश 23-3-2010 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 859/ 2009-10

अपील में पारित आदेश दिनांक 7-1-2014 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 859/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-1-2014 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर